



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940

No. 665]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

सं. 52/2018-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 900(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर, जो अभिकर्ता नहीं है, जहाँ ऐसे प्रदायों के सम्बन्ध में प्रतिफल का संग्रहण उक्त ऑपरेटर द्वारा किया जाता है, अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा उसके माध्यम से किए गए अंतरा-राज्यिक कराधेय प्रदायों के शुद्ध मूल्य के आधे प्रतिशत की दर पर रकम संग्रहीत करेगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2018

No. 52/2018 – Central Tax

G.S.R. 900(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies

that every electronic commerce operator, not being an agent, shall collect an amount calculated at a rate of half per cent. of the net value of intra-State taxable supplies made through it by other suppliers where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the said operator.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

VERMA, GUNJAN KUMAR Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

सं. 02/2018-एकीकृत कर

सा.का.नि. 901(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर, जो अभिकर्ता नहीं है, जहाँ ऐसे प्रदायों के सम्बन्ध में प्रतिफल का संग्रहण उक्त ऑपरेटर द्वारा किया जाता है, अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा उसके माध्यम से किये गए अंतरराज्यिक कराधेय प्रदायों के शुद्ध मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर रकम संग्रहीत करेगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2018

No. 02/2018 – Integrated Tax

G.S.R. 901(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (1) of section 52 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that every electronic commerce operator, not being an agent, shall collect an amount calculated at a rate of one per cent. of the net value of inter-State taxable supplies made through it by other suppliers where consideration with respect to such supplies is to be collected by the said operator.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.